पत्रांक–5/यो०/ठो०अ०प्र० (गुमला)–13/2015 (छ० सं०):–......31.........

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

आवंटनादेश
TSP

प्रेषक,

सुनील कुमार,
सरकार के प्रधान सचिव।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

सेवा में,

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
गुमला नगर परिषद्।

राँची, दिनांक–08/07/26

विषय: वित्तीय वर्ष 2026–27 में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन हेतु CAPEX के लिए राज्य योजना मद के TSP प्रक्षेत्र से गुमला नगर परिषद् को कुल 2,00,00,000/– रु० (दो करोड़ रुपये) मात्र अनुदान राशि का आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या–5831 दिनांक–27.12.2023 द्वारा गुमला नगर परिषद् अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के लोक निजी भागीदारी के पद्धति के आधार पर कार्यान्वयन हेतु कुल राशि 12,358.63 लाख (एक सौ तैईस करोड़ अन्ठावन लाख तिरसठ हजार) पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना हेतु CAPEX में राज्य योजना मद (शहरी जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सिवरेज एवं ड्रेनेज, नगरीय आधारभूत संरचनाएँ, आवास आदि शंहरी योजना) से कुल 552.94 लाख रुपये (पाँच करोड़ बावन लाख चौरानवे हजार) मात्र की राशि गुमला नगर परिषद् को उपलब्ध कराई जानी है।

2. उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्यपालक पदाधिकारी, गुमला नगर परिषद् के पत्रांक–1277 दिनांक–25.05.2026 द्वारा प्राप्त अधियाचना के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026–27 में निम्नवत् राशि आवंटित की जाती है:–

क्र.	प्रक्षेत्र	बजट शीर्ष	राशि (रु० में)	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार/ उप कोषगार
i	ii	iii	iv	v	vi
A	TSP	मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास–उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य–लघुशीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना–उपशीर्ष–94–शहरी जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सिवरेज एवं ड्रेनेज, नगरीय आधारभूत संरचनाएँ, आवास आदि शहरी योजना/उप योजना शीर्ष 01– नगरीय परिवहन, जलापूर्ति, भवन, उद्यान एवं जलाशय योजनायें/ विस्तृत शीर्ष–06– अनुदान–79–सहायता अनुदान– सामान्य (गैर वेतन), विपत्र कोड–**48S22178079694010679**	2,00,00,000	कार्यपालक पदाधिकारी	गुमला
		कुल:–	2,00,00,000		

3. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उपर्युक्त कंडिका–2 की सारणी के स्तंभ–v में अंकित पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी स्तंभ–vi में अंकित कोषागार/उप कोषागार से की जाएगी।

4. वित्तीय वर्ष 2024–25 में गुमला ठोस अपशिष्ट योजना अंतर्गत CAPEX मद में गुमला नगर परिषद् को राशि आवंटित नहीं की गई है।

5. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दिनांक–20.03.2015 की कंडिका–5 (iii) के आलोक में स्वीकृत सहायता अनुदान की राशि के विपत्र पर सक्षम प्राधिकार या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर के पश्चात् विपत्र झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 के अनुरूप कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।

6. इस राशि की निकासी में वित्त नियमावली, झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 का अनुपालन किया जायेगा। भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को इससे संबंधित पुस्तकों/पंजियों को देखने एवं जांच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

7. राशि की निकासी वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र (अनुदेश) सं0–2561/दिनांक–17.04.98 में सन्निहित प्रक्रियाओं एवं समय–समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को निश्चित रूप से भेजा जायेगा एवं इसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध कराई जाएगी।

8. इस राशि से योजनाओं का कार्यान्वयन चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा एवं भौतिक/वित्तीय उपलब्धियों का प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम–2011 के बजट संबंधी धाराओं के अंतर्गत राशि सम्मिलित करने के उपरांत ही नियमानुसार स्वीकृत राशि का व्यय करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना अथवा राशि भुगतान का डुप्लीकेसी किसी भी परिस्थिति में न हो।

10. गुमला नगर परिषद् के प्रशासी पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत राशि के Online आवंटन निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर राशि की निकासी करते हुए, कार्यान्वयन प्रतिवेदन विभाग को प्रत्येक माह के 5वीं तारीख तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

11. प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

12. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दिनांक–20.03.2015 (कंडिका–5) के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

अतः संबंधित कोषागार पदाधिकारी, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दिनांक–20.03.2015 के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

(सुनील कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– 5/यो०/ठो०अ०प्र० (गुमला)–13/2015 (छ० सं०):–31 राँची, दिनांक–08/07/2026

प्रतिलिपि–प्रधान महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– 5/यो०/ठो०अ०प्र० (गुमला)–13/2015 (छ० सं०):–31 राँची, दिनांक–08/07/26

प्रतिलिपि:– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/वित्त विभाग/योजना एवं विकास विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल/उपायुक्त, गुमला/कार्यपालक पदाधिकारी, गुमला नगर परिषद्/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, नगर विकास एवं आवास विभाग/कोषागार पदाधिकारी, गुमला कोषागार/नोडल पदाधिकारी, ई–प्रोक्योमेन्ट, नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री निर्मल कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, नगर निकास एवं आवास विभाग को ऑनलाईन आवंटन हेतु/अवर सचिव, बजट शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

293